दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 19 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 1839/2020

वीरेंद्र सिंह .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अजय वर्मा, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री वीरेंद्र सिंह, भारत संघ के लिए अधिवक्ता

श्री अजय दिगपाल, कें.स.स्था.अधि. सह श्री कमल दिगपाल तथा सुश्री स्वाति क्वात्रा, भारत संघ के लिए अधिवक्ता (मो. 9811157265)

श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्र-3 / भा.खे.प्रा के लिए अधिवक्ता (मो. 9873835833)

11 के साथ

\+ **रि.या.(सि) 2566/2020**

परदीप मलिक .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अजय वर्मा, अधिवक्तागण |

बनाम

भारत संघ व अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री वीरेंद्र सिंह, भारत संघ के लिए अधिवक्ता

श्री रुचिर मिश्रा, श्री संजीव कुमार सक्सेना, सुश्री रबाजेना मिश्रा एवं श्री मुकेश कुमार तिवारी, प्र-1 व प्र-2 के लिए अधिवक्तागण (मो. 8368422800)

श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्र-3 / भा.खे.प्रा के लिए अधिवक्ता

12 के साथ

\+ **रि.या.(सि) 2571/2020**

अजय कुमार .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अजय वर्मा, अधिवक्तागण |

बनाम

भारत संघ व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री वीरेंद्र सिंह, भारत संघ के लिए अधिवक्ता

श्री रुचिर मिश्रा, श्री संजीव कुमार सक्सेना, सुश्री रबाजेना मिश्रा एवं श्री मुकेश कुमार तिवारी, प्र-1 व प्र-

2 के लिए अधिवक्तागण

श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्र-3 / भा.खे.प्रा के लिए अधिवक्तागण |

13 और

\+ **रि.या.(सि) 2579/2020**

सुमित दहिया .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अजय वर्मा, अधिवक्तागण |

बनाम

भारत संघ व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री वीरेंद्र सिंह, भारत संघ के लिए अधिवक्ता

श्री रुचिर मिश्रा, श्री संजीव कुमार सक्सेना, सुश्री रबाजेना मिश्रा एवं श्री मुकेश कुमार तिवारी, प्र-1 व प्र-2 के लिए अधिवक्तागण

श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्र-3 / भा.खे.प्रा के लिए अधिवक्तागण |

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

<u>न्या., प्रतिभा एम. सिंह (मौखिक)</u>

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. वर्तमान चारों याचिकाएं श्री वीरेंद्र सिंह, श्री प्रदीप मलिक, श्री अजय कुमार तथा श्री सुमित दहिया द्वारा दायर की गई हैं, जो सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन सभी को दिए गए विकलांगता प्रमाण पत्रों के माध्यम से बोलने और सुनने में 100% विकलांगता आंकी गई है। वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से, याचीगण अन्य राहतों के साथ-साथ अन्य पैरा-एथलीटों के साथ बधिर खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार की मांग करते हैं।

3. याचिकाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2001 में रोम में कमेटी इंटरनेशनल ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स (सीआईएसएस) कांग्रेस के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और सीआईएसएस के बीच एक समझौता हुआ था, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेफलिम्पिक्स (बधिर) खेलों को ओलंपिक खेलों और पैरा-ओलंपिक खेलों के समान दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। वास्तव में, इसलिए, याचीगण का मामला यह है कि जो खिलाड़ी बधिर ओलंपिक में भाग लेते हैं, बधिर होने के कारण, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वालों के समान दर्जे के पात्र होंगे।

4. न्यायालय के समक्ष चारों याचीगण ने कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में विभिन्न पदक जीते हैं। उनकी शिकायत यह है कि सुनने में अक्षम खिलाड़ियों के साथ अन्य खिलाड़ियों के समान व्यवहार नहीं किया जाता है। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नकद पुरस्कार और अन्य योजनाएं जो अन्य

खिलाडियों के लिए हैं, वे विकलांग व्यक्तियों और पैरा-ओलंपिक खेलों के लिए समान रूप से लागू नहीं होती हैं। इसलिए, इन रिट याचिकाओं में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को बधिर खेलों के संबंध में भी उचित नीतियां बनाने के निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. इन रिट याचिकाओं के विचाराधीन रहने के दौरान, दिनांक 23 मार्च, 2022 के आदेश द्वारा, भारत संघ को पैरा-ओलंपिक के साथ-साथ डेफलिम्पिक्स से संबंधित लागू 'पुरस्कार नीति' को अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुसरण में, दिनांक 11 मार्च, 2020 को संशोधित “पुरस्कार नीति” को अभिलेख पर रखा गया था।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति है कि मोटे तौर पर नवीनतम नीति के अनुसार, विभिन्न पैरा खेलों, नेत्रहीन खेलों एवं बधिर खेलों पर भी विचार किया गया है तथा सरकार द्वारा उचित नकद पुरस्कारों और अन्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है।

7. दूसरी ओर, याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी सरकार द्वारा विचार किए जाने योग्य हैं।

- पहला यह है कि बधिर खेलों की श्रेणी में, 'बधिर एशियाई खेल' गायब है। वह स्वीकार करते हैं कि यह एक चूक के कारण हो सकता है।

- दूसरा, वह प्रस्तुत करते हैं कि भारत के उन शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) शुरू की गई है, जिनके पास ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि टॉप्स योजना पहले से ही 'पैरा खिलाडियों' पर लागू है, लेकिन इसका विस्तार बधिर खिलाड़ियों के लिए भी किया जाना चाहिए।
- तीसरा, वे प्रस्तुत करते हैं कि बधिर खिलाड़ियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ ओलंपिक खेलों के खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों के समान होने चाहिए।

8. विद्वान अधिवक्ता श्री रुचिर मिश्रा प्रस्तुत करते हैं कि तीन मुद्दे जिन्हें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उजागर किया गया है, को याचीगण की ओर से अभ्यावेदन माना जा सकता है जिस पर मंत्रालय निर्णय लेगा।

9. सुना गया। इन रिट याचिकाओं का उद्भव, जब से इन्हें दायर किया गया है यह स्वयं दर्शाता है कि सामान्य रूप से खिलाड़ियों और विशेष रूप से विकलांग खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के संबंध में काफी बदलाव किए गए हैं। अभिलेख पर रखी गई नवीनतम योजना से पता चलता है कि नकद पुरस्कारों और अन्य लाभों के रूप में सम्मान पैरा खिलाडियों और यहां तक कि नेत्रहीन और बधिर खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों

को भी दिया गया है। ऐसी योजनाओं, पुरस्कारों, लाभों आदि को जारी करना सरकार की नीति के दायरे में है। जबकि सामान्य तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, नीतियों और योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा ही की जानी है और न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट लाभ निर्देशित नहीं किया जा सकता है। नीतिगत मामलों में न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **लघु औद्योगिक निर्माता संघ बनाम भारत संघ (2021) 8 एससीसी 511** में निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत की गई है -

*"17. उन कारणों की सटीकता, जिन्होंने सरकार को एक के बजाय दूसरे पर कार्रवाई करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, न्यायिक समीक्षा में चिंता का विषय नहीं है और न्यायालय इस तरह की जांच के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। **नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि अकेले सरकार ही विभिन्न कोणों से बिंदुओं पर विचार करने के बाद तय कर सकती है कि कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए।** सरकार के निर्णय की उपयुक्तता का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भले ही सरकार की ओर से दूसरा विचार संभव हो।*

*18. **नीति की वैधता, न कि नीति की बुद्धिमत्ता या सुदृढ़ता, न्यायिक समीक्षा का विषय है।** सरकारी नीति की न्यायिक समीक्षा का दायरा अब अच्छी तरह से परिभाषित है। न्यायालय किसी नीति की सटीकता, स्थिरता और उपयुक्तता की जांच करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करते हैं और*

न ही कर सकते हैं, और न ही न्यायालय नीति के मामलों पर कार्यकारियों के सलाहकार हैं जिन्हें कार्यपालक तैयार करने के हकदार हैं।"

10. याचीगण कुशल खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत के लिए प्रशंसा अर्जित की है। उनकी प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित तीन मुद्दे हैं:

- 'बधिर एशियाई खेलों' को बधिर खेलों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।
- टॉप्स योजना बधिर खिलाड़ियों पर लागू नहीं की गई है।
- बधिर खिलाड़ियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ अन्य खिलाड़ियों के समान नहीं हैं।

11. कुल मिलाकर, याचीगण की प्रार्थना है कि बधिर खिलाड़ियों के साथ पैरा खिलाड़ियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है और यहां तक कि न्यायालय भी पुष्टि करता है कि बधिर खिलाडियों और पैरा खेल खिलाडियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी भी श्रेणी को दूसरे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तथापि, याचीगण द्वारा उजागर किए गए विशिष्ट मुद्दों पर, इस न्यायालय की राय है कि मामले का समग्र दृष्टिकोण लेने के बाद, प्रत्यर्थी द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका, सभी लंबित आवेदनों के साथ, इस निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि ऊपर उठाए गए तीनों मुद्दों पर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस तरह से निर्णय लेगा जो बोलने और सुनने में अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उचित है।

13. उक्त निर्णय आज से तीन महीने की अवधि के भीतर लिया जाएगा। इस बीच, चूंकि कुछ टूर्नामेंट चल रहे हैं जैसा कि बताया गया है, अगर कोई अंतरिम समर्थन दिया जाना है, तो उस पर चार सप्ताह के भीतर विचार किया जाएगा।

14. इन टिप्पणियों के साथ, सभी आवेदनों के साथ वर्तमान याचिकाओं का निपटान किया जाता है। सभी उपचार खुले रखे गए हैं।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायमूर्ति

19 जनवरी, 2023
डीजे/एसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग*

नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।